कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमॉक शिविरा/माध्य/निप्र/डी–1/2101/पप/99–2000/53005 दिनांक 20.09.2000

परिपत्र

विषय– माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा परिणाम की समीक्षा के मानदण्ड।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों के परीक्षा परिणाम की समीक्षा कर विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आवश्यक कार्यवाही की जाती रही है। बोर्ड परीक्षा परिणाम की समीक्षा कर संस्था प्रधान एवं शिक्षकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने अथवा उन्हें प्रशंसा पत्र देने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये जाते है–

1– संस्था प्रधान–

(अ) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम– विद्यालय का माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा (दोनों अथवा एक) का परिणाम 80 प्रतिशत व इससे उच्च रहने पर संस्था प्रधान को प्रशंसा पत्र दिया जायेगा।

(ब) न्यून परीक्षा परिणाम– विद्यालय की उच्च माध्यमिक परीक्षा का परिणाम 40 प्रतिशत व इससे न्यून या माध्यमिक परीक्षा का परिणाम 30 प्रतिशत व इससे न्यून रहा हो अथवा दोनों न्यून रहे हों तो संस्था प्रधान के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम–17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

2– अध्यापक–

(अ) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम– विषयाध्यापक का माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक परीक्षा (दोनों अथवा एक) का परीक्षा परिणाम 80 प्रतिशत व इससे उच्च रहने पर प्रशंसा पत्र दिया जायेगा।

(ब) न्यून परीक्षा परिणाम– विषयाध्यापक का उच्च माध्यमिक परीक्षा का परिणाम 40 प्रतिशत व इससे न्यून या माध्यमिक परीक्षा का परिणाम 30 प्रतिशत व इससे न्यून रहा हो अथवा दोनों न्यून रहे हों तो संस्था प्रधान के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम–17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार संस्था प्रधान अथवा अध्यापक के बोर्ड परीक्षा परिणाम की समीक्षा करते समय प्रशंसा पत्र देने अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व निम्नांकित तथ्यों पर वस्तुपरक (आब्जेक्टिव) दृष्टि से आवश्य विचार कर लिया जावे–

(1) संस्था प्रधान/अध्यापक का संबंधित सत्र में जुलाई से फरवरी के मध्य न्यूनतम ठहराव 5 माह होना आवश्यक है।

(2) परीक्षा परिणाम की गणना करते समय मुख्य परीक्षा के परिणाम को ही सम्मिलित किया जाये।

(3) संस्था प्रधान के लिए विद्यालय के परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उच्च माध्यमिक परीक्षा में विद्यालय में चल रहे सभी संकायों के परीक्षा परिणाम को मिलाकर औसत परीक्षा परिणाम की गणना की जावेगी।

(4) यदि अध्यापक एक ही विषय के किसी कक्षा के एक से अधिक खण्ड पढाता हो तो सभी खण्डों के परीक्षा परिणाम का औसत निकाला जावे। औसत निकालने के लिए परीक्षा में प्रविष्ट व उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को आधार माना जावेगा।

(5) सानुग्रह उत्तीर्ण छात्रों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं अध्यापक के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण छात्रों के साथ ही सम्मिलित किया जावेगा।

(6) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के किसी विषय के एक से अधिक प्रश्न पत्र हों और प्रत्येक प्रश्न पत्र को पढाने वाले विषयाध्यापक को उसका परीक्षा परिणाम दिया जावेगा।

3– सक्षम अधिकारी–

(1) संस्था प्रधान (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निदेशालय स्तर पर विभागीय जॉच अनुभाग द्वारा की जायेगी। प्राध्यापक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का आरंभ मण्डल अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसका अनुमोदन निदेशालय से करवाना होगा।

(2) वरिष्ठ अध्यापक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में मण्डल अधिकारी सक्षम होगा तथा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए समस्त कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर की जायेगी।

(3) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम पर प्रशंसा पत्र देने के निए निम्न अधिकारी सक्षम होंगे–

पद	सक्षम अधिकारी
प्राध्यापक एवं संस्था प्रधान(मा/उमावि)	– मण्डल अधिकारी
अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक	– जिला शिक्षा अधिकारी

प्रशंसा पत्र तैयार कर प्रस्तुत करने का प्रथम दायित्वव जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। उपरोक्तानुसार प्रशंसा पत्र देने/अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने संबंधी समस्त कार्य प्रति वर्ष 31 अक्टूबर तक पूर्ण कर संबंधित अध्यापक/संस्था प्रधान की निजी पंजिका/गोपनीय प्रतिवेदन में भी संलग्न किया जावे।

ह0
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य / मा / स / 22423 / 2001–02 दिनांकः 03 फरवरी, 2015

समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा

विषय– राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाये जाने हेतु दिशा निर्देश।

राज्य में संचालित समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाये जाने हेतु निम्न दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते है–

1. विद्यालयों में प्रार्थना सभा का समय 20 मिनट निर्धारित किया जावे।
2. प्रार्थना सभा में निम्न गतिविधियों को निर्धारित समय 20 मिनट में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावे–
   - (क) प्रार्थना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, प्रतिज्ञा व समूहगान– 5 मिनट
   - (ख) सूर्य नमस्कार, योग अभ्यास व Meditation – 10 मिनट
   - (ग) समाचार पत्र का वाचन (अंग्रेजी व हिन्दी में बारी–बारी से)– 5 मिनट
3. प्रार्थना सभा समाप्ति के पश्चात् विद्यार्थियों को कक्षा कक्षों में पंक्तिबद्ध रूप से भेजा जावे।

उक्त दिशा–निर्देशों की क्रियान्विति से शैक्षणिक वातावरण में सुधार के साथ–साथ विद्यार्थियों की स्वस्थ एकाग्रता में वृद्धि होने से, बौद्धिक विकास की दिशा में प्रभावी कदम होगा। निजी विद्यालयों को भी इस दिशा में आवश्यक रूप से पाबन्द कर पालना सुनिश्चित करावें।

(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार।
2. उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप– 1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ सम्पादक शिविरा पत्रिका को अगले अंक में प्रकाशनार्थ
4. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड कराने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमॉक शिविरा/माध्य/निप्र/डी–1/2101/पप/99–2000/53005 दिनांक 03 फरवरी 2015

समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा

विषय– बोर्ड परीक्षा परिणाम की समीक्षा एवं शिक्षकों को प्रशंसा पत्र/के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।

विषयान्तर्गत निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.09.2000 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। परिपत्र दिनांक 20.09.2000 की प्रति पृष्ठ भाग पर अंकित है।
निदेशालय स्तर पर समीक्षा करने पर पाया गया कि –

1. सामान्यतया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा(12वीं) परिणाम माह मई में एवं माध्यमिक परीक्षा(10वीं) परिणाम माह जून में घोषित हो जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम की विद्यालयवार परीक्षा परिणाम की कम्प्यूटर–शीट प्रेषित की जाती है। प्राप्त शीट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी का प्रथम दायित्व है कि वह–

(i)– विद्यालयों की पहचान जिनका परीक्षा परिणाम निर्धारित मापदण्ड से न्यून है। संबंधित शाला प्रधान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव निदेशालय को अधिकतम जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक आसानी से भिजवाये जा सकते है, जो प्राप्त नहीं होते है।

उक्त के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है चूँकि बोर्ड द्वारा अधिकृत परीक्षा परिणाम उनको अंकित विवरणानुसार प्रेषित किये जाने से जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से संस्था प्रधान का दायित्व आसानी से निदेशालय को सूचित किया जा सकता है।

(ii)– विषयवार व्याख्याताओं/अध्यापकों का परीक्षा परिणाम की सूचना संस्था प्रधानों की प्रथम वाक्–पीठ जो कि जुलाई के अन्तिम सप्ताह में आयोजित की जाती है, में संस्था प्रधान से प्राप्त कर समेकित रूप से निदेशालय/मण्डल अधिकारी को प्रेषित की जा सकती है।

2. यह भी सम्भव है कि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा के परिणाम पुर्न–मूल्यांकन के कारण संशोधित होते है किन्तु इस संशोधन से मोटे रूप से विद्यालय प्रभावित न होकर कुछ संख्या में छात्र/आंशिक रूप से विद्यालय एवं विषयाध्यापक प्रभावित हो सकते है। पुर्न–मूल्यांकन परिणम की प्रतीक्षा किये बिना उक्त सूचना प्रतिवर्ष अधिकतम 31 अगस्त तक उपलब्ध करवाने के लिये जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक उत्तरदायी होगें।

3. उक्त प्राप्त सूचना के आधार पर विश्लेषण कर निदेशालय माध्यमिक शिक्षा एवं मण्डल कार्यालय द्वारा (सक्षमता के आधार पर) संबंधित संस्था प्रधान, व्याख्याता एवं विषयाध्यापक के विरूद्ध 30 सितम्बर तक कारण बताओ नोटिस जारी कर संबंधित का अभिकथन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

4. 15 अक्टूबर तक संबंधित का अभिकथन सक्षम अधिकारी को प्राप्त नहीं होने पर बोर्ड द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर संबंधित कार्मिक (संबंधित संस्था प्रधान/विषय व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक) के विरूद्ध

सी.सी.ए.–17 के तहत आरोप पत्र जारी किये जायें। जारी किये जाने वाला आरोप पत्र को सीधे ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जाना आवश्यक होगा।

5. जारी आरोप पत्र के विरूद्ध अभिकथन (बचाव) प्राप्त होने/नहीं प्राप्त होने दोनों ही दशाओं में सक्षम अधिकारी द्वारा विश्लेषण कर आवश्यक दण्डादेश से संबंधित आदेश प्रसारित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यह कार्यवाही 25 अक्टूबर तक की जाना आवश्यक होगा। आवश्यक आदेश की प्रति सभी संबंधित को प्रेषित किये जाने की सुनिश्चतता संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

6. पारित आदेश का उल्लेख संबंधित के सेवाभिलेख में 31 अक्टूबर तक आवश्यक इन्द्राज किये जाने का उत्तरदायित्व सक्षम अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत संस्थापन प्रभारी का होगा। विफल रहने की दशा में संस्थापन प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

7. निदेशालय स्तर पर विभागीय जॉच अनुभाग संस्था प्रधान/विषय व्याख्ताओं के विरूद्ध उक्त समस्त कार्यवाही निर्धारित तिथियों में करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुभाग अधिकारी एवं ग्रुप अधिकारी इसका नियमित रूप से प्रबोधन करेंगे।

8. श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान/विषय व्याख्ताओं/वरिष्ठ अध्यापकों को संबंधित मण्डल अधिकारी द्वारा प्रशंसा पत्र अपने (i)– अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी को 10 जनवरी तक (ii)– जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों को 20 जनवरी तक भिजवाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ताकि संस्था प्रधान द्वारा 26 जनवरी के गणतन्त्र दिवस समारोह में संबंधित को वितरित किये सकें।

9. जिला शिक्षा अधिकारी श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम वाले किसी संस्था प्रधान/विषय व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक को जिला /राज्य स्तरीय पुरस्कार की अभिशंषा करनी है तो निर्धारित तिथि तक जिला कलक्टर द्वारा सूचित कार्यक्रम एवं परिपत्रों के अनुरूप आवश्यक प्रस्ताव जिला प्रशासन को प्रेषित कर सकेंगे।

संलग्न– पृष्ठ भाग अनुसार।

(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशिष्ठ सहायक शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार।
2. समस्त जिला कलक्टर
3. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, कार्यालय हाजा।
5. वरिष्ठ सम्पादक– शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
7. अनुभाग अधिकारी विभागीय जॉच, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर